सीबीएसई/व.ले.अधि./1644-1703/2018 **17.05.2018**

परिपत्र

यह देखा गया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रापण के संबंध में लेखा परीक्षा सहमति के लिए प्रस्ताव को आगे भेजते समय, कुछ प्रस्ताव जीएफआर 2017 के अनुसार नहीं आ रहे हैं।

सभी क्षे.का./एककों/उ.केंद्रों से निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने ध्यानपूर्वक प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया जाता है:-

1. सभी निविदा प्रक्रिया अनिवार्य रूप से ई-प्रापण प्रक्रियाओं का पालन करें। ई-प्रापण प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले किसी भी प्रस्ताव की लेखा परीक्षा द्वारा जांच नहीं की जाएगी।
2. प्रापण के प्रत्येक स्तर पर, संबंधित एकक संक्षिप्त में शर्तें, विवेचन, परिस्थितियां एवं आवश्यकता को रिकॉर्ड पर लाएं जिनके आधार पर प्रापण लिया गया है।
3. गुणवत्ता, प्रकार इत्यादि के रूप मामले में विनिर्देशन और प्रापण की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता एकक की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई हो।
4. प्रापण को इस तरह से पूरा किया जाए जिससे अनुचित व्यय से बचा जा सके।
5. संबंधित एकक को बोलीदाताओं/ऐजेंसियों/विक्रेताओं द्वारा प्रस्तावित कीमत की उपयुक्तता के बारे में अपने को सन्तुष्ट करना चाहिए।
6. सभी प्रापण स्पष्ट, निष्पक्ष और उपयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से होने चाहिए।
7. इसके अतिरिक्त, सभी क्षे. का./एकक/उ.कें. को लेखा परीक्षा की सहमति के लिए मुख्यालय को फाइल भेजने से पहले लेखा परीक्षा जांच सूची के अनुपालन को सुनिश्चित करना चाहिए।
8. वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्येक प्रापण प्रस्ताव शुरू की जाने वाली गतिविधि से कम से कम 4 माह पहले प्रस्तुत करना चाहिए।
9. सभी क्षे. का./एककों/उ.कें. को अपने संबंधित लेखा परीक्षा/लेखा अनुभाग द्वारा पूर्व जांच के बाद मुख्यालय को फाइल भेजने का निदेश दिया जाता है।
10. वर्तमान अनुबंध को बढ़ाने का प्रस्ताव, जिसको ई-प्रापण प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रविष्ट किया गया है, आगे से उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ता/-
(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव

वितरण

1. सीबीएसई, अध्यक्ष के निजी सचिव को सूचना हेतु
2. एआरटी एण्ड आई विंग
3. सभी क्षेत्रीय कार्यालय
4. सभी परीक्षा एकक
5. सभी उत्कृष्टता केंद्र